राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान
वस्त्र मन्त्रालय , भारत सरकार
भोपाल बाईपास रोड , भौरी , भोपाल - ४६२०३०

ब्यूटी पार्लर/सेलून के संचालन के लिए रुचि की अभिव्यक्ति

1. परिचय:

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) की स्थापना 1986 में कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई थी, जिसे भारत में शिक्षा और अनुसंधान के प्रचार और विकास के लिए 2006 में संसद के अधिनियम (निफ्ट अधिनियम 2006) के तहत फैशन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैधानिक दर्जा दिया गया है। निफ्ट अपने 18 केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से देश भर में फैशन व्यवसाय की शिक्षा प्रदान करता है।
निफ्ट फैशन के क्षेत्र में पेशेवरों और छात्रों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डिजाइन और प्रौद्योगिकी में चार साल का स्नातक (यूजी) कार्यक्रम, डिजाइन, फैशन प्रबंधन और फैशन प्रौद्योगिकी में दो साल का स्नातकोत्तर (पीजी) कार्यक्रम और अल्पकालिक शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करता है। निफ्ट का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके परिसर बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, गांधीनगर , भोपाल, जोधपुर, कांगड़ा , कन्नूर, कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली, पटना, पंचकुला , रायबरेली , शिलांग , श्रीनगर और दमन में स्थित हैं।

2. निफ्ट, भोपाल परिसर की स्थापना
निफ्ट, भोपाल ने अपना संचालन वर्ष 2008 में एक अस्थायी परिसर, निफ्ट ब्लॉक, एम.पी. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय परिसर, कोलार रोड, भोपाल में शुरू किया था और यह वर्ष २०२२ में भोपाल-इंदौर बाईपास रोड, भौरी , भोपाल - ४६२०३० में अपने स्थायी परिसर में स्थानांतरित हो गया है। वर्तमान में निफ्ट भोपाल में लगभग 417 छात्र और 60 कर्मचारी हैं।

1. व्यापकता :

राष्ट्रीय फ़ैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल (एतदपश्चात "संस्थान" के नाम से निर्दिष्ट) एक राष्ट्रीय दर्जे का शैक्षणिक संस्थान है , निफ्ट भोपाल परिवार के लिए भोपाल बाइपास रोड, भौरी भोपाल में स्थित स्थायी परिसर में रुचि की अभिव्यक्ति के संलेख के अनुसार केवल ब्यूटी पार्लर/सेलून (अनुलग्नक -1) की दुकान के पत्ते के लिए अनुज्ञप्तिधारी की नियुक्ति के लिए लिफ़ाफ़ाबंद रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करता है । आवेदनकर्ता को यह सेवाएँ संस्थान को प्रदान करनी हैं और अनुलग्नक - 2 के मूल्य सूची के अनुसार इन सेवाओं की उपलब्धता हर समय बनी रहनी चाहिए।

1. निविदा संलेख को संस्थान की वैबसाइट www.nift.ac.in/bhopal से प्राप्त किया जा सकता है।

2. पात्रता मापदंड:
सभी आवेदकों/एजेंसियों/दूकानदारों को निंलिखित पात्रता मापदंडों को पूरा करना होगा और रुचि की अभिव्यक्ति के साथ अपने दावे के समर्थन में संलेख और घोषणाएँ (विधिवत स्व-सत्यापित) जमा करनी होगी। वे आवेदन जो नीचे बताए गए पात्रता मापदंडो के अनुरूप नहीं है और अपेक्षित संलेख के साथ नहीं हैं, उन्हे अधूरा माना जाएगा और अंततः अस्वीकार कर दिया जाएगा।

i. आवेदनकर्ता की आयु रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से 18 से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए।

ii. शैक्षणिक योग्यता कम से कम दसवी कक्षा की होनी चाहिए।

iii. निफ्ट समुदाय की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवेदक को ब्यूटी पार्लर/सेलून का मुख्य संचालक/मालिक होना चाहिए।

iv. आवेदक को दुकान संचालन या इसी क्षेत्र में रुचि की अभिव्यक्ति की तिथि से पहले कम से कम दो वर्ष की अवधि के अनुभव का विवरण, संलेख प्रमाणपत्र के साथ देना होगा।

v. मध्यप्रदेश की दुकानों और प्रतिष्ठानों के संबन्धित प्राधिकरण द्वारा जारी दुकान/एजेंसी/फ़र्म/कंपनी के पंजीकरण की प्रतिलिपि ।

vi. एजेंसी/फ़र्म/बोलीकर्ता को पी ए एन/टी ए एन/ टी आई एन/ जी एस टी प्रमाणपत्रों की स्व-सत्यापित प्रतिलिपि, जहां भी लागू हो, जमा करनी है ।

3. **<u>रुचि की अभिव्यक्ति का मूलयांकन:</u>**

i. उद्धृत उच्चतम अनुज्ञप्ति शुल्क के आधार पर रुचि की अभिव्यक्ति का मूल्यांकन किया जाएगा । उन एजेंसी/फ़र्म/ कंपनी/आवेदकों की मूल्य सूची जो पात्रता मापदण्डों के अनुरूप नहीं है, खारिज कर दी जाएगी।

ii. उपरोक्त मूल्यांकन के अलावा, एक समिति, एजेंसी/फ़र्म/ कंपनी/आवेदकों द्वारा संचालित दुकान/पार्लर का निरीक्षण करेगी और उनका अंकों द्वारा मूल्यांकन करेगी।

iii. विक्रेता/वेडर का चयन: वे आवेदनकर्ता जिन्हे उपर्युक्त मद संख्या 3 (i) और 3 (II) दोनों मूल्यांकनों को मिलकर उच्चतम अंक प्राप्त हुए है , उसका चयन सेवाएँ प्रदान करने के लिए कर लिया जाएगा ।

iv. संस्थान द्वारा गठित एक समिति रुचि की अभिव्यक्ति का मूल्यांकन करेगी।

v. आवेदक या उसके प्रतिनिधि की ओर से रुचि की अभिव्यक्ति के निर्णय को आधिकारिक रूप से या अन्यथा प्रभावित करने की कोशिश की गयी तो रुचि की अभिव्यक्ति खारिज कर दी जाएगी। समिति को रुचि की अभिव्यक्ति के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है ।

4. **<u>रुचि की अभिव्यक्ति संलेख का संशोधन</u>**:

प्रस्ताव प्रस्तुत करने की समय सीमा से पहले किसी भी समय संस्थान , किसी भी कारणवश, चाहे अपनी मर्जी से या किसी संभावित आवेदनकर्ता द्वारा अनुरोधित स्पष्टीकरण के जवाब में, निविदा संलेख को परिशिष्ट/शुद्धिपत्र जारी करके संशोधित कर सकता है। इस प्रकार के जारी किए गए परिशिष्ट/शुद्धिपत्र रुचि की अभिव्यक्ति का हिस्सा माने जाएंगे और वैबसाइट पर भी साझा कर दिये जाएंगे। संभावित आवेदकों को उनके प्रस्तावों को तैयार करते समय जारी की गयी परिशिष्ट को प्रभाव में लाने के लिए उचित समय प्रदान करने के लिए, यदि आवश्यक हुआ तो, समिति के निर्णय के अनुसार प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ाई जा सकती है।

5. **<u>रुचि की अभिव्यक्ति जमा करने के लिए</u>**:

i. रुचि की अभिव्यक्ति जैसा की उल्लिखित है उचित माध्यम से 26/12/2022 को शाम 5:00 बजे तक प्राप्त हो जानी चाहिए। एक मोहरबंद सीलबंद लिफाफे में विधिवत भरे हुए रूचि की अभिव्यक्ति फॉर्म दस्तावेजों को व्यक्तिगत रूप से पहुंचाया जाए या केवल पंजीकृत डाक या कूरियर द्वारा भेजा जाए जिससे कि संस्थान में यह 26/12/2022 को शाम 05:00 बजे तक पहुंच जाए।

ii. रुचि की अभिव्यक्ति 27/12/2022 को दोपहर 02:00 बजे खोली जाएगी।

iii. इच्छुक पार्टियाँ रुचि की अभिव्यक्ति फार्म जमा करने से पहले परिसर का निरीक्षण कर सकती हैं।

iv. अवयस्कों के नाम या अवयस्कों की ओर से भरे गए निविदाएँ अस्वीकार कर दी जाएंगी।

v. फ़र्म/कंपनी/संस्थान आदि के मामले में, अधिकृत प्रतिनिधि रुचि की अभिव्यक्ति का आवेदन, प्राधिकार पत्र के साथ जमा करा सकता है ।

vi. नियम व शर्तों के फॉर्म के साथ , रुचि की अभिव्यक्ति फॉर्म विधिवत भरा हुआ , प्रत्येक प्रष्ठ पर हस्ताक्षर और कोई अन्य सहायक प्रमाण पत्र एक लिफाफे में रख कर उसपर दुकान/व्यवसाय की प्रकृति , आवेदनकर्ता (टेंडरर) का नाम और पता इंगित किया जाएगा।

vii. निर्धारित तिथि और समय के बाद प्राप्त रुचि की अभिव्यक्ति को स्वीकार नहीं किया जाएगा। रुचि की अभिव्यक्ति को समिति के द्वारा खोला जाएगा।

viii. संस्थान/अनुज्ञप्तिदाता द्वारा निर्धारित और उल्लिखित शर्तों के अलावा किसी भी पूर्व शर्त या अतिरिक्त शर्तों को रुचि की अभिव्यक्ति खोलने के समय अस्वीकार कर दिया जाएगा।

ix. आवेदनकर्ता रुचि की अभिव्यक्ति फॉर्म के हर प्रष्ठ पर हस्ताक्षर करके उसे लिफ़ाफ़ाबंद कर देगा। उस व्यवसाय/दुकान का नाम जिसके लिए रुचि की अभिव्यक्ति उद्धृत की गयी है, लिफाफे के सबसे ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा होना चाहिए। आवेदक को संस्थान में स्वागत कक्ष में रखे गए डब्बे में लिफाफा बंद कवर डालना होगा।

6. **<u>रुचि की अभिव्यक्ति खुलने के संबंध में :</u>**

रुचि की अभिव्यक्ति निफ्ट भोपाल में ....../12/2022 को शाम .... बजे खोली जाएगी। आवेदक या उसका कोई अभी अधिकृत प्रतिनिधि जिसके पास प्राधिकार पत्र हो, यदि वह रुचि की अभिव्यक्ति खुलने के समय उपस्थित रहना चाहता है तो वह संस्थान आ सकता है ।
आवेदक/ आवेदक के प्रतिनिधि को स्व-सत्यापित मान्य फोटो पहचान पत्र (जैसे कि : पी ए एन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, पासपोर्ट, राशन कार्ड) की प्रतिलिपि साथ लानी होगी। यदि रुचि की अभिव्यक्ति खोलने वाले दिन अवकाश की घोषणा हो जाती है तो रुचि की अभिव्यक्ति अगले कार्यालयी दिवस में खोली जाएगी।

7. **<u>अनुबंध का आवंटन</u>** :

समिति की संस्तुति के अनुसार, अनुबंध सफल आवेदक को आवंटित किया जाएगा। सफल आवेदक को आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर दुकान संचालन के लिए एक अनुबंध करना होगा, जिसमे वह विजयी हुआ है ।

8. **<u>अनुबंध की अवधि</u>** :

अनुबंध की अवधि एक वर्ष होगी और संतोषजनक सेवा प्रदान करने के आधार पर तीन वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।

9. **<u>अनुज्ञप्ति अवधि/ व्यवसाय करने की न्यूनतम अवधि :</u>**

i. दुकान के अनुबंध की अवधि केवल (3) तीन वर्ष की होगी।

ii. अनुज्ञप्तिधारी को अनुबंध की तिथि से कम से कम एक वर्ष की अवधि तक दुकान/व्यवसाय का संचालन करना होगा। यदि अनुज्ञप्तिधारी (1) एक वर्ष की अनुज्ञप्ति अवधि पूरी होने से पूर्व किसी भी कारणवश परिसर खाली करना चाहता है तो, अनुज्ञप्तिधारी को शेष राशि जो (1) एक वर्ष की अनुज्ञप्ति राशि के बराबर मे से बकाया राशि का भुगतान करना होगा।

iii. सफल आवेदक/आवंटी को (3) तीन वर्ष, या जो भी लागू हो, के लिए अनुज्ञप्ति विलेख करना होगा , आवंटन पत्र प्राप्ति की तिथि से (7) सात दिनों या आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से (15) पंद्रह दिनों के भीतर , जो भी जल्दी हो, 100 रुपए की लागत का गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर आवंटी को जमा करना होगा। यदि आवंटी अनुबंध के अंतर्गत विफल माना जाता है, और सुरक्षा जमा राशि जमा करने के (15) पंद्रह दिनों के भीतर व्यवसाय शुरू नहीं करता है तो उस स्थिति में उसकी सुरक्षा जमा राशि जब्त हो जाएगी।

iv. अनुज्ञप्ति शुल्क का भुगतान : अनुज्ञप्तिधारी को हर महीने की 5 तारिख या उससे पहले अनुज्ञप्ति शुल्क का भुगतान करना होगा। मासिक अनुज्ञप्ति शुल्क के विलंबित भुगतान के मामले में, विद्युत शुल्क पर 15% प्रति वर्ष की दर से, बकाया राशि पर जुर्माने का भुगतान करना होगा।

10. **<u>सुरक्षा जमा राशि:</u>**

i. सफल आवेदक 20,000/- रूपए(बीस हजार रूपए) सुरक्षा जमा राशि जमा करेगा। आवेदक इस राशि का भुगतान ऑनलाइन बैंक ट्रान्सफर सुविधा के माध्यम से कर सकता है।
बैंक का नाम : यूनियन बैंक ऑफ इंडिया , कोलार रोड, भोपाल -462042
आईएफ़एससी कोड : यूबीआई0554910
बैंक खाता नाम : नेशनल इंस्टीव्यूट ऑफ फ़ैशन टेक्नालजी कस्टमर बैंक अकाउंट
बैंक अकाउंट संख्या : 549102010009108
नोट : भुगतान का प्रमाण जिसमे बैंक का नाम, जमा की गयी सुरक्षा जमा राशि की धनराशि, ट्रान्सफर करने की तिथि, यूटीआर संख्या, प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

ii. सुरक्षा जमा राशि पर कोई ब्याज लागू नहीं होगा।

iii. सुरक्षा जमा राशि केवल अनुज्ञप्ति अवधि पूर्ण होने पर ही वापस की जाएगी।

iv. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्ति की अवधि के दौरान देय अनुज्ञप्ति शुल्क सुरक्षा जमा राशि में समायोजित नहीं की जाएगी।

v. अनुज्ञप्तिधारी की दुकान की सुरक्षा जमा राशि केवल तभी लौटाई जाएगी जब वे अपने प्रयोग के लिए कराये गए निर्माण, या अतिरिक्त ढाँचे को विघटित या हटा देते हैं।

vi. यदि अनुज्ञप्तिधारी परिसर को बिना अपने द्वारा कराये गए अतिरिक्त निर्माण के विघटन या उसके द्वारा लगाए गए ढांचे को नहीं हटाते हुए खाली कर देता है तो, विघटन की लागत मूल्य अनुज्ञप्तिधारी के सुरक्षा जमा राशि से काट ली जाएगी और बकाया राशि वापस कर दी जाएगी।

vii. यदि अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति शुल्क का भुगतान करने में विफल रहता है या अनुज्ञप्ति की समाप्ति अनुज्ञप्ति की किसी भी शर्त (शर्तों) का उल्लंघन हो तो सुरक्षा जमा राशि जब्त की जा सकती है।

11. **<u>अनुबंध की समाप्ति के संबंध में</u> :**
अनुज्ञप्ति की समाप्ति और सुरक्षा जमा राशि की विधिवत जब्त होने के निम्न अवसरों की स्थिति :

i. अनुज्ञप्तिदाता एक माह की सूचना के साथ बिना किसी कारण बताए अनुज्ञप्ति समाप्त करने के लिए स्वतंत्र है।

ii. दुकान के लिए अनुबंध में आने के 9 माह की अवधि पूर्ण करने के बाद, यदि अनुज्ञप्तिधारी संस्थान को अनुज्ञप्ति समाप्त करने के लिए तीन माह की अग्रिम सूचना देने में विफल रहता है।

iii. अनुज्ञप्तिधारी लगातार तीन बार या केलेण्डर वर्ष में तीन बार अनुज्ञप्ति शुल्क देने से चूक जाता है, तो अनुज्ञप्ति समाप्त की जा सकती है और सुरक्षा जमा राशि जब्त की जा सकती है।

iv. अनुज्ञप्तिधारी 90 दिनों की अवधि (जिसके लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की गयी है) के लिए स्टॉल संचालन में किसी भी कारणवश असफल रहता है, सुरक्षा जमा राशि का भुगतान नहीं करता है और निर्धारित समयावधि में अनुबंध के पालन नहीं करता है।

v. अनुज्ञप्तिदाता के पास सुरक्षा जमा राशि जब्त करने के अतिरिक्त अनुज्ञप्ति (अनुबंध) को समाप्त करने का अधिकार होगा यदि उसकी राय में प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता मानक/संतोषजनक नहीं है।

12. **<u>विशिष्ट नियम और शर्तें</u>:**

i. मूल्य निर्धारण: अनुज्ञप्तिधारी को दुकान में प्रदान की गयी सेवाओं की मूल्य सूची प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करनी चाहिए। संस्थान की समिति समय-समय पर प्रत्येक सेवा के मूल्य की जांच कर सकती है।

ii. निफ्ट भोपाल समुदाय की अनुज्ञप्तिधारी की दुकान की सेवाओं पर प्रतिक्रिया के आधार पर केवल समिति की समीक्षा के बाद, अनुबंध को वार्षिक रूप से बढ़ाया जाएगा।

iii. आवंटित दुकान का क्षेत्रफल लगभग 215 वर्ग फीट होगा।

iv. दुकान का न्यूनतम आधार अनुज्ञप्ति शुल्क जीएसटी सहित 3000/- रुपए (मात्र तीन हजार रुपए) प्रति माह होगा।

v. बिजली शुल्क: बिजली शुल्क का भुगतान वास्तविक और दर सूची के अनुसार या समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार, समिति के निर्णय के आधार पर किया जाएगा।

vi. उपयोग किए जाने वाले उत्पाद अंतर-राष्ट्रीय और बहु-नगरीय उपस्थिती वाले प्रतिष्ठित ब्रांड के होने चाहिए।

vii. दुकान में फर्नीचर अच्छी स्थिति में होना चाहिए और उपभोगता की सुविधा के अनुरूप होना चाहिए। सभी आंतरिक सजावट (अपेक्षित फर्नीचर सहित) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लगाया जाएगा। विपरीत दिशा के दर्पण और सेलून जैसी क्वालिटी सीट लगाई जानी चाहिए। परिसर को अच्छी तरह से हवादार और रोशन रखा जाना चाहिए।

viii. समिति को सेवाओं की गुणवत्ता, बाजार मूल्य और प्रायप्तता देखने का अधिकार है।

ix. किसी भी समय पर काम की उप–किराएदारी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

x. यदि अनुबंध की अवधि के दौरान, किसी भी समय यह पाया जाता है कि अनुज्ञप्तिधारी तुलनीय प्रचलित बाजार दरों से अधिक शुल्क ले रहा है तो संस्थान लिखित सूचना देकर अनुबंध को समाप्त कर सकता है।

xi. सभी सेवाओं के लिए उचित मूल्य बनाए रखना अनुज्ञप्तिधारी का कर्तव्य है, और असफल होने पर संस्थान द्वारा उचित कार्यवाही की जाएगी।

13. **सामान्य नियम एवं शर्तें :**

i. आवेदक को केवल उन्ही सेवाओं के लिए रुचि की अभिव्यक्ति फार्म जमा करना है जिसके लिए रुचि की अभिव्यक्ति मांगी गयी है।

ii. सफल आवेदक द्वारा सभी औपचारिकताएँ जैसे सुरक्षा जमा राशि का भुगतान, अनुबंध का निष्पादन (अनुज्ञप्ति विलेख) पूर्ण कर लिए जाने पर ही व्यवसाय शुरू करने की अनुमति दी जाएगी, जिसमें विफल होने पर अनुज्ञप्ति रद्द करने के साथ–साथ सुरक्षा जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।

iii. दुकान के लिए आवंटित स्थान संस्थान की आवश्यकता के अनुसार स्थानांतरित किया जा सकता है।

iv. **व्यवसाय की प्रकृति में बदलाव :** अनुज्ञप्तिधारी को वही व्यवसाय करना चाहिए जो रुचि की अभिव्यक्ति अधिसूचना में उल्लिखित है और जिसके लिए अनुज्ञप्ति जारी की गयी है। यदि अनुज्ञप्तिधारी दुकान में अनुज्ञप्ति विलेख में निर्धारित व्यवसाय के अतिरिक्त काम/व्यवसाय करता हुआ पाया जाता है तो अनुज्ञप्ति को समाप्त करते हुए सुरक्षा जमा राशि को जब्त किया जा सकता है।

v. अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु की स्थिति में अनुज्ञप्ति समाप्त हो जाएगी। हालांकि कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति के नए विलेख निष्पादन पर अनुज्ञप्तिदाता, अनुज्ञप्तिधारी के कानूनी उत्तराधिकारी को अनुज्ञप्ति की शेष अवधि के लिए समान नियमों और शर्तों पर व्यवसाय चलाने की अनुमति दे सकता है।

vi. सफल अनुज्ञप्तिधारी को दुकान या परिसर "जहां है जैसी स्थिति में है" में दिया जाएगा। किसी भी तरह का संशोधन, बदलाव, मरम्मत, यदि कोई आवश्यक हो तो, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपनी लागत पर संबन्धित संस्थान की पूर्व अनुमति से और संस्थान द्वारा अनुमोदित आलेख के आधार पर किया जाएगा।

vii. **दुकानों के क्षेत्र की सीमा :**

- अनुज्ञप्तिधारी को रुचि की अभिव्यक्ति अधिसूचना में उल्लिखित आवंटित की गयी दुकान के क्षेत्र की सीमा तक या अनुज्ञप्ति के विलेख में दिये गए मद के अनुसार अपने व्यवसाय क्षेत्र को सीमित रखते हुए संचालन करना चाहिए। किसी भी सूरत में अतिक्रमण नहीं होना चाहिए।
- यदि अनुज्ञप्तिधारी आवंटित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान का अतिक्रमण करता है तो अनुज्ञप्तिधारी जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी है। यदि अनुज्ञप्तिधारी लगातार अतिक्रमण करता जा रहा है तो सूचना के द्वारा उसकी सेवाएँ रद्द की जा सकती है।
- कचरे का प्रथक्करण निफ्ट भोपाल के नियमों के अनुसार उचित तरीके से किया जाना चाहिए। उचित स्थानों पर कूड़ेदान रखकर दुकान के परिसर और परिवेश को स्वच्छ रखा जाना चाहिए, इस परिसर का

निरीक्षण अनुज्ञप्तिदाता के अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है। नियमों का अनुपालन न होने की स्थिति में हर बार 200/- रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। परिसर के अंदर प्लास्टिक की थेलियाँ पूर्णतः प्रतिबंधित है।

- अनुज्ञप्तिधारी को वर्ष में एक बार दुकान परिसर की सफेदी/पेंटिंग स्वयं के खर्चे पर तथा दुकान खाली करते समय भी करवानी होगी।

- अनुज्ञप्ति की अवधि की समाप्ति पर या अनुज्ञप्ति की समाप्ति पर अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्तिदाता को खाली और दुरुस्त किया गया आवंटित परिसर अनुबंध के अंतिम दिन शाम 5 बजे सौंपेगा।

- यदि अनुज्ञप्तिधारी दुकान/परिसर को खाली करके अनुज्ञप्तिदाता को सौंपने में असफल रहता है तो अनुज्ञप्तिदाता को उक्त परिसर में अपना ताला लगाकर परिसर का कब्जा लेने का अधिकार होगा। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा छोड़े गए समान, यदि कोई हो तो, को अनुज्ञप्तिदाता द्वारा परिसर का अधिग्रहण करने के अगले दिन सार्वजनिक नीलामी में रख दिया जाएगा।

- अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करे कि आवश्यक अग्निशमन उपकरण परिसर में लगाए गए है और हर समय दुरुस्त और काम करने योग्य है, और साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि शॉर्ट सर्किट/ आग से बचाव के लिए सभी बिजली के तारों, बिजली निर्गम , उपकरणों का उपयोग एवं रखरखाव ठीक से किया जाता है। निफ्ट भोपाल की सम्पदा विभाग सुरक्षा टीम इस संबंध में अनुज्ञप्तिधारी की सहायता करेगी।

- चीटियों, तिलचट्टों, चूहों, दीमकों आदि के लिए आवधिक कीट नियंत्रण उपचार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपनी लागत पर किया जाएगा।

viii. जनशक्ति की तैनाती :

- अनुज्ञप्तिधारी स्वयं को ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 के तहत एक ठेकेदार के रूप में पंजीकृत करेगा।
- व्यावसायिक समयावधि के दौरान यदि जनशक्ति के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो, अनुज्ञप्तिधारी ही उसका मुआवजा देगा। जनशक्ति के मुआवजे और किसी भी अन्य वैधानिक देय राशि के लिए अनुज्ञप्तिधारी अकेले ही उत्तरदायी है और संस्थान ऐसी किसी भी राशि के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं है।

ix. **कर :**

अनुज्ञप्तिधारी उन सभी करों का भुगतान करेगा जो समय-समय पर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। संस्थान इन करों का भुगतान ना होने या चूक होने की स्थिति में दंड के लिए उत्तरदायी नहीं है। वैधानिक प्राधिकारियों तक कर भुगतान पहुँचाने में हुई चूक पर अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाएगी और और परिसर खाली करवा लिया जाएगा।

x. उपरोक्त सभी नियम और शर्तें अनुबंध का हिस्सा बनेंगी। अनुज्ञप्तिधारी को संस्थान द्वारा निर्धारित किन्ही अन्य शर्तों के अतिरिक्त इन शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

xi. इस अनुबंध में उल्लिखित सभी सूचना, सहमति, दिशा-निर्देश और अनूमोदन आदि अनुज्ञप्तिदाता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को लिखित रूप में दिया जाएगा।

xii. उक्त नीलामी प्रक्रिया में अनुज्ञप्ति शुल्क आदि के बकाया राशि को समायोजित कर लिया जाएगा और शेष राशि यदि कोई हो तो अनुज्ञप्तिधारी को वापस कर दी जाएगी।

xiii. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्तिदाता को खाली दुकान परिसर सौंपने में असफल होने पर अनुज्ञप्तिदाता सुरक्षा जमा राशि जब्त करने का हकदार बना देता है।

xxiv. अनुज्ञप्तिधारी या उसके प्रतिनिधि, एजेंट या कर्मचारियों द्वारा अनुज्ञप्ति अवधि के दौरान अनुज्ञप्तिदाता की संपत्ति या दुकान को कोई नुकसान पहुचता है तो, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया गया नुकसान दुरुस्त करके देना होगा और अनुज्ञप्तिदाता इस राशि को अनुज्ञप्तिधारी के सुरक्षा जमा राशि से भी काटने का अधिकार रखता है।

xv. परिसर में दुकानदार या उसके कर्मचारी को आवासीय सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी। इसी प्रकार दुकान बंद होने के बाद दुकान से संबन्धित किसी भी व्यक्ति को परिसर में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

xvi. अनुबंध की अवधि के दौरान, अनुज्ञप्तिदाता संस्थान के हित में अनुबंध की शर्तों में परिवर्तन/संशोधन/जोड़ने/हटाने के लिए स्वतंत्र है।

xvii. निषेध :

- दुकानदार को संस्थान या सरकार द्वारा या किसी भी प्रतिबंध लागू करने वाली एजेंसी द्वारा प्रतिबंधित कोई भी वस्तु नहीं बेचनी चाहिए। दुकानदार को समय-समय पर संस्थान द्वारा निर्धारित आचार संहिता का पालन करना चाहिए। यह अनुज्ञप्ति समझौता किसी भी समय बिना कोई कारण बताए, जिसमें एक कारण- अनुबंध में उल्लिखित कर्तव्यों के उल्लंघन किए जाने की स्थिति है, रद्द किया जा सकता है।

- कानून के अनुसार किसी भी बाल श्रमिक को सेवा/श्रम के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा।
- अनुज्ञप्तिधारी दुकान में अपने व्यवसाय की शैली और व्यवसाय के अलावा किसी भी अन्य तरह का विज्ञापन प्रदर्शित नहीं कर सकता और न ही प्रदर्शित करने की अनुमति दे सकता है, और यह सुनिश्चित करेगा कि दुकान के कटआउट/पोस्टर/होर्डिंग अश्लील नहीं होने चाहिए।

- दुर्व्यवहार के मामले में, संस्थान के व्यक्ति/कर्मचारियों पर हमला या अनुज्ञप्तिधारी या उसके प्रतिनिधि/कर्मचारियों द्वारा संस्थान की छवि को धूमिल करने वाले कार्य या टिप्पणी के मामले में जुर्माना लगाया जाएगा या सुरक्षा जमा राशि को विधिवत रूप से जब्त कर अनुबंध को समाप्त कर दिया जाएगा।

- **उप-दुकाने/आउटलेट :** अनुज्ञप्तिधारी को किसी भी परिस्थिति में किसी भी कारणवश उप-दुकान/आउटलेट खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

xviii. दुकान के संचालन का समय समिति के निर्देशानुसार होगा।

xix. संस्थान बिना कोई कारण बताए किसी भी बोलीकर्ता की निविदा को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

xx. अनुज्ञप्तिधारी निफ्ट भोपाल और निफ्ट भोपाल के कर्मचारियों, अन्य विक्रेता और हितधारकों (प्रत्येक क्षतिपूर्तिकर्ता) को किसी भी तीसरे पक्ष द्वारा निफ्ट भोपाल के खिलाफ किए गए किसी भी दावे, कार्यवाई या कार्यवाही के खिलाफ और किसी भी नुकसान, नुकसान की क्षतिपूर्ति, बचाव और हानिरहित रखेगा और अनुज्ञप्तिधारी या उसके एजेन्टों, कर्मचारियों या प्रतिनिधियों के किसी भी कार्य या चूक के परिणामस्वरूप किसी क्षतिपूर्तिकर्ता को हुई कोई भी हानि, क्षति, लागत , व्यय, दंड, शुल्क या अन्य देनदारियाँ जिनमे निम्नलिखित मद शामिल है, लेकिन इन्ही तक सीमित नहीं है :

- कोई शारीरिक चोट या मृत्यु।

- संपत्ति को कोई नुकसान।
- इन निविदा संलेखों के अंतर्गत किसी भी प्रतिनिधित्व या वारंटी का उल्लंघन।
- कोई भी लापरवाही, इरादतन दुराचार, यौन उत्पीड़न या अन्य अत्याचारपूर्ण कृत्य।
- किसी भी नियोक्ता दायित्वों सहित वैधानिक दायित्वों का उल्लंघन।
- इन निविदा संलेखों के किसी भी अन्य प्रावधानों का उल्लंघन।
- निफ्ट भोपाल अनुज्ञप्तिधारी की लागत पर इस तरह के दावे के बचाव में भाग लेने का अधिकार रखता है।
- अनुज्ञप्तिधारी निफ्ट भोपाल और निफ्ट भोपाल के कर्मचारियों, अन्य विक्रेताओं और हितधारकों का अपमान नहीं करेगा।

14. **दंड प्रावधान:**

i. अनुज्ञप्तिदाता की राय में, यदि अनुज्ञप्तिधारी परस्पर सहमत शर्तों के लिए अनुज्ञप्ति निष्पादित करने में असफल रहता है और अनुज्ञप्तिदाता और अनुज्ञप्तिधारी के बीच अनुबंध में आ जाता है, तो संस्थान को निम्नलिखित कार्यवाही करने का अधिकार है।

ii. संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुबंध को भंग करने पर जुर्माना लगाना।

iii. सुरक्षा जमा राशि को आंशिक या पूर्ण रूप से जब्त करना।

iv. एक माह का नोटिस/सूचना देकर अनुबंध की समाप्ति।

v. उपरोक्त सूचना के साथ अनुबंध की समाप्ति और सुरक्षा जमा राशि को जब्त करना।

vi. किसी भी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कोई दंड या जुर्माना आदि लगाने की स्थिति में और यदि संस्थान को ऐसी दंडात्मक कार्यवाही में शामिल किया जाता है तो संस्थान सुरक्षा जमा राशि आदि को अपने पास तब तक रखने का अधिकार रखता है जब तक संस्थान के हित में बात साबित ना हो जाए। इस तरह की दंडात्मक कार्यवाइयाँ अनुबंध को समाप्त करने का एक कारण हो सकती है।

15. **विवाद निवारण और लागू कानून :**

i. सभी विवादों और शंकाओं या अनुज्ञप्ति के लिए लागू शर्तों या शर्तों की व्याख्या, अनुज्ञप्ति पर या अन्यथा लागू, अनुज्ञप्तिधारी के लिए संस्थान का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

ii. अनुबंध भारत के कानून द्वारा शासित होगा। कोई भी विवाद निम्न मद (ग) के अधीन, केवल भोपाल, मध्यप्रदेश, भारत में सक्षम न्यायालय और फोरम के अनन्य अधिकार क्षेत्र के अधीन है।

iii. किसी भी विवाद को पक्षों के बीच आपसी बातचीत के माध्यम से हल किया जाएगा। यदि बातचीत शुरू होने के 15 दिनों के भीतर विवाद अनसुलझा रहता है तो, ऐसे विवादों को निफ्ट भोपाल द्वारा नियुक्त मध्यस्थ द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधानों के अनुसार मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। मध्यस्थता का स्थान भोपाल में होगा। दोनों पक्षों के लिए मध्यस्थ का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

iv. **अप्रत्याशित घटना:** अप्रत्याशित घटना के कारण किसी भी देरी के लिए विक्रेता जिम्मेदार नहीं होगा। अप्रत्याशित घटनाओं का अर्थ निम्न में से एक या अधिक कृत्यों या घटनाओं से होगा: दैवीय कृत्य या प्रभावित पक्ष के नियंत्रण से बाहर की घटनाएँ जिनके घटित होने की यथोचित अपेक्षा नहीं की जा सकती थी, असाधारण रूप से प्रतिकूल मौसम की स्थिति, बिजली, भूकंप, चक्रवात, बाढ़, ज्वालामुखी विस्फोट या आग या भूस्खलन, रेडियोधर्मी संदूषण या आयनिकरण विकिरण; हड़ताल या बहिष्कार (विक्रेता या उसके कर्मचारियों/प्रतिनिधियों को छोडकर या उनमे से किसी के किसी कार्य या चूक के कारण) 7 (सात) दिनों की निरंतर अवधि से अधिक की अवधि के लिए परियोजना की आपूर्ति और सेवाओं को बाधित करना; युद्ध की स्थिति (चाहे घोषित हो या अघोषित), आक्रमण, सशस्त्र संघर्ष या विदेशी आक्रमण, नाकाबंदी, प्रतिबंध, दंगा, विद्रोह, आतंकवादी या सैन्य कार्यवाई, नागरिकों का हंगामा या राजनीतिक तोडफोड जो 7 (सात) दिनों की निरंतर अवधि से अधिक की अवधि के लिए विक्रेता की आपूर्ति या निर्दिष्ट सेवाओं के प्रतिपादन को रोकता है।

अनुलग्नक -1

ब्यूटी पार्लर से संबन्धित सामान्य दिशानिर्देशों, सेवाओं की सूची और विशिष्ट आवश्यकताएँ:

1. प्रत्येक ग्राहक के लिए नया और साफ एप्रेन/तौलिये का उपयोग किया जाना चाहिए।
2. उपकरणों को उबलते पानी या कीटाणुनाशक से साफ करना चाहिए। एक ग्राहक के लिए इस्तेमाल किए गए शेविंग ब्लेड को इस्तेमाल के बाद फेंक देना चाहिए और हर ग्राहक के लिए नए ब्लेड का इस्तेमाल करना चाहिए।
3. मानक और प्रतिष्ठित कंपनियों के उत्पादों का उपयोग किया जाना चाहिए। इन उत्पादों से त्वचा पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
4. मच्छर और कीट नियंत्रण के उपचार किए जाने चाहिए।
5. सर्दी के मौसम में ग्राहकों की सेवाओं के लिए गरम पानी का प्रयोग किया जाना चाहिए।
6. ग्राहकों की सेवा में उपयोग किए जाने वाले सभी उपकरणों को बिना किसी दाग आदि के साफ-सुथरा रखा जाएगा।
7. सेलून में काम करने के दौरान नुकीली वस्तुओं से ग्राहकों को चोट से बचाने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। आपात स्थिति के लिए डेटॉल/सेलून/कीटाणुनाशक और प्राथमिक उपचार के उपाय उपलब्ध होने चाहिए।
8. सेलून स्टायलिस्ट सौंदर्य सेवाओं की विस्तृत सेवाएँ जैसे बालों को काटने से लेकर त्वचा का उपचार करने तक, नियमित कार्य जैसे बालों को शैम्पू करना, काटना और उन्हे स्टाइल करना शामिल है हालांकि वे बालों के उपचार भी प्रदान कर सकते हैं जिसमें डीप कंडिशनिंग, पेरमानेंट हैयर कलर और वीविंग शामिल है। अधिकांश सेलून में दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं के अनुसार स्टाइलिस्ट को सौन्दर्य उत्पादों और उपकरणों को भली-भांति उपयोग करना आना चाहिए।
9. सेवाएँ प्रदान करते हुए स्वच्छता का ध्यान रखा जाना चाहिए।
10. केवल महिला कर्मचारियों को ही अनुमति दी जाएगी।
11. सभी आंतरिक सजावट (फर्नीचर) विक्रेता द्वारा प्रदान की जानी चाहिए।

अनुलग्नक-2

(बोली के साथ प्रस्तुत किया जाए)

ब्यूटी पार्लर/सेलून सेवाएँ

सेवाओं का प्ररूप	प्रकार	मूल्य
बाल कटवाना/ड्रेसिंग	बाल कटवाना- बेसिक	50/-
	बाल कटवाना- स्टाइलिश	150/-
	ब्लोड्राइ	200/-
	कर्ल्स ब्लोड्राइ	300/-
	शैंपू और कंडीशनर-बेसिक	200/-
	शैंपू और कंडीशनर-प्रीमियम (एस/एम/एल)	150/- - 250/- - 350/-
	हेयर आइरनींग	500/-
	आइरन कर्ल्स	500/-
	कलर सेट	250/- -500/-
	मेहंदी	150/- - 300/-
हेयर स्पा	रूसी/बालो का झड़ना/डीप कंडिशनिंग	400/-
डी- टैन	अप्पर लिप	150/-
	अंडर आर्म	200/-
	पैर (फीट)	250/-
	चेहरा और गर्दन (फ़ेस एंड नेक)	300/-
	हाफ आर्म्स	350/-
	फुल्ल आर्म्स	500/-
	हाफ लेग्स	400/-
	फुल्ल लेग्स	600/-
	फुल्ल बॉडी	1300/-
बॉडी ट्रीटमेंट	कोको बटर मसाज	1000/-
	अरोमा ऑइल	1200/-
	बॉडी पोलिशिंग	2000/-

	बॉडी वाइप	700/-
क्लासिक वेक्सिंग	फुल्ल आर्म्स	150/-
	हाफ आर्म्स	100/-
	फुल्ल लेग्स	350/-
	हाफ लेग्स	200/-
	अंडर आर्म्स	100/-
	फुल्ल फ्रंट वेक्सिंग	300/-

सेवाओं का प्ररूप	प्रकार	मूल्य
	फुल्ल बैक वेक्सिंग	150/-
	चिन	40/-
	अप्पर लिप	30/-
	फेस	125/-
	फुल्ल बॉडी	1100/-
	बिकीनी लाइन	300/-
थ्रेडिंग	आइब्रो	40/-
	अप्पर लिप	20/-
	लोअर लिप	20/-
	माथा (फोरहेड)	20/-
	चिन एंड नेक	20/- एंड 20/-
	फुल्ल फेस	110/-
मैनिक्युर	क्लासिक	250/-
	कोको बटर	300/-
	डेड सी	350/-
	सिट्रस स्पा	500/-
	आइसक्रीम	600/-
पेडिक्युर	क्लासिक	450/-
	कोको बटर	

		300/-
	डेड सी	400/-
	सिट्रस स्पा	550/-
	आइसक्रीम	650/-
	नेलपॉलिश	50/-
फेशियल	विभिन्न प्रकार के फेशियल	500/- - 1500/-
	बेसिक क्लीन–अप	300/-
मेक–अप (आइब्रो, फुल्ल फेस और नेक डी–टैन और बेसिक मेक–अप)	क्लासिक मेक–अप	1500/-
	साड़ी ड्रेपिंग	100/-
	हाफ आर्म्स	150/-
	फुल्ल आर्म्स	250/-
	हाफ फीट	150/-

नाम और पते के साथ निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

दिनांक:

<u>अनुलग्नक -3</u>
<u>आवेदक सूचना पत्रक</u>

1. आवेदक का नाम :
2. आवेदक के पिता का नाम :
3. वर्तमान व्यवसाय की प्रकृति:
4. आवेदक की आयु:
5. आवेदक का पूरा पता :
6. पैन कार्ड नंबर:
7. मैं निम्नलिखित प्रतिभूतियों की पेशकश करता हूँ जिन्होने यहा प्रतिभूति के रूप में हस्ताक्षर किए हैं।

आवेदक के हस्ताक्षर

अनुलग्नक –4

रुचि की अभिव्यक्ति में भाग लेने के लिए बहिष्कृत/प्रतिबंध के संबंध में घोषणा

मैं / हम____, दुकानदार एततद्वारा घोषणा करता हूँ कि दुकान जिसका नाम____ संघ/राज्य सरकार या संगठन या संस्थान द्वारा विगत वर्षो में भारत में सरकारी निविदाओं / रुचि की अभिव्यक्ति में भाग लेने के लिए प्रतिबंधित नहीं किया गया है।

या

मैं / हम____, दुकानदार एततद्वारा घोषणा करता हूँ कि दुकान जिसका नाम____ संघ/राज्य सरकार या संगठन या संस्थान द्वारा भारत में सरकारी निविदाओं / रुचि की अभिव्यक्ति में भाग लेने के लिए प्रतिबंधित किया गया था।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम :

पता :

अनुलग्नक–5

अनुज्ञप्ति शुल्क प्रस्ताव के साथ आवेदन पत्र

सेवा में,
संयुक्त निदेशक
राष्ट्रीय फ़ैशन प्रौद्योगिकी संस्थान,
भोपाल बाइपास रोड, भौरी
भोपाल–462030 (मध्य प्रदेश)

आदरणीय महोदय,
निफ्ट भोपाल में ब्यूटी पार्लर/सेलून की दुकान के आवंटन के संबंध में रुचि की अभिव्यक्ति के संदर्भ में, मैं एततद्वारा निर्धारित प्रारूप में रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करता हूँ। मैंने रुचि की अभिव्यक्ति फार्म के साथ दिये गए सभी नियमों और शर्तों को अच्छी तरह से पढ़कर समझ लिया है। इसके अतिरिक्त, अनुज्ञप्ति प्रदान करने के पश्चात मैं अपने व्यवसाय के संचालन के दौरान निफ्ट भोपाल द्वारा समय–समय पर निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए अपनी सहमति देता हूँ।

अनुज्ञप्ति शुल्क, मैं / हम निफ्ट भोपाल को ब्यूटी पार्लर/सेलून के संचालन के परिसर के लिए
रु. . . . .
(. . . . .
. . . . रुपए)
प्रति माह, बिजली शुल्क छोडकर, +जीएसटी जहां लागू हो, प्रस्तुत करते हैं। (कृपया राशि का उल्लेख शब्दों में और अंकों में करें)।

धन्यवाद
आपका आभारी

आवेदक के हस्ताक्षर
पूरा नाम:
पता :

मोबाइल नंबर:
ईमेल आई डी :